(22)

राजस्थान–सरकार

न्यायालय तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी –पूरण सिंह (आर.टी.एस.) प्रकरण सं0:– 34/2018

अन्तर्गत धारा 91 राज.भू–राज.अधिनियम 1956

सरकार **बनाम** श्री सीताराम पुत्र दामाराम जाति माली निवासी नवलडी व हाल निवासी मोहब्बतसर तहसील नवलगढ।

–: निर्णय :– दिनांक 25.07.2019

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चैलासी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मोहब्बतसर स्थित भूमि खसरा नम्बर 441 रकबा 3.55 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम खातेदारी मन्दिर माफी श्री राधा वल्लभजी के दर्ज रिकॉर्ड में से 0.016 हैक्टेयर भूमि पर आवासीय मकान बनाकर सीताराम पुत्र दामाराम जाति माली निवासी नवलडी व हाल निवासी मोहब्बतसर तहसील नवलगढ (राज.) द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। राजस्थान सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) प्रकरण क्रमांक 3(2) राज/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 की पालना में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को नोटिस जारी किये गये। तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी ने नोटिस लेने से मना किया जिसे खुले मकान पर चस्पा किया गया। इसके बावजूद आज दिनांक तक अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। अतः अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अतः गिरदावर हल्का, नवलडी एवं पटवारी हल्का, चैलासी की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत ग्राम मोहब्बतसर के ख.न. 441 में 0.017 है. भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थी द्वारा किये गये अतिक्रमण के फलस्वरूप अप्रार्थी को शरह लगान का 50 गुणा अर्थात् 8/– रूपये के आर्थिक दण्ड (तावान्) से दण्डित किया जाता है। तावान् कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को तहरीर जारी हो। अतिक्रमी की भौतिक बेदखली हेतु भू.अ. निरीक्षक व पटवारी हल्का चैलासी को लिखा जावे तावान की वसूली हेतु पटवारी को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पूरण सिंह)
तहसीलदार नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2021.02.19 14:37:03 IST
Reason: SelfAttested

रोकड़ सं. 4 वर्ष 19-20 के पृष्ठ सं. ... पर ... रुपए की मांग कायम की गई
तहसील राजस्व लेखाकार तहसील नवलगढ 16/8/19

Scanned by CamScanner